मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 26, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ

संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय की श्रीमती एल.बी.लोबो शपथ लेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पटल पर रखेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किये जाने से संबंधित लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त लोकसभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन :-
(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का बावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009) तथा आयोग का वर्ष 2008-2009 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,
(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2006-2007;तथा
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-39-2008-सूअप्र-एक-9, दिनांक 27 अगस्त 2009,
पटल पर रखेंगे.

5. जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले में केन्द्र सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ कृषकों को न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के खाचरौद नागदा क्षेत्र में विद्यालयीन छात्रों को नियत मापदण्ड अनुसार गणवेश एवं सायकल का वितरण न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. वक्तव्य

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, दिनांक 28 जुलाई, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 107 (क्रमांक 4532) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

11. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

12. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के क्रमशः नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2009-2010 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान, प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए दो स्थान तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से क्रमशः एक सदस्य, दो सदस्यों तथा एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2009-2010 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य होने के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए (जो अनुसूचित जाति वर्ग का होगा) अग्रसर हों.".

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 18 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

15. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में रासायनिक खाद एवं बीज की कमी तथा कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति पर डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सुखदेव पांसे, श्री आरिफ अकील तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री भगवान सिंह, सुखदेव पांसे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, शिवनारायण मीना तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 16 नवम्बर, 2009